न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गिर्वा, जिला–उदयपुर
पीठासीन अधिकारी कमर चौधरी, आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या 8/17 वाद

प्रभुलाल पिता प्यारेलाल माली निवासी म.न. 33/52,80 फीटरोड, राताखेत, उदयपुर।

वादी

बनाम

1. स्व. गंगाराम पिता स्व. दीपचन्द तेली के विधिक वारिसानः–
   1/1 प्रकाश पिता स्व.गंगाराम तेली निवासी हर्ष नगर कॉलोनी रामपुरा, सीसारमा तह. गिर्वा जिला उदयपुर।
   1/2 भारती पिता स्व.गंगाराम तेली निवासी हर्ष नगर कॉलोनी रामपुरा, सीसारमा तह. गिर्वा जिला उदयपुर।
   1/3 लीला पिता स्व.गंगाराम तेली निवासी हर्ष नगर कॉलोनी रामपुरा, सीसारमा तह. गिर्वा जिला उदयपुर।
   1/4 चन्द्रा पिता स्व.गंगाराम तेली निवासी हर्ष नगर कॉलोनी रामपुरा, सीसारमा तह. गिर्वा जिला उदयपुर।
   1/5 कमला पिता स्व.गंगाराम तेली निवासी हर्ष नगर कॉलोनी रामपुरा, सीसारमा तह. गिर्वा जिला उदयपुर।
2. प्रकाश पिता स्व.़ गंगाराम तेली निवासी निवासी हर्ष नगर कॉलोनी रामपुरा सीसारमा तह. गिर्वा जिला उदयपुर।
3. राज्य जरिये जिला कलक्टर उदयपुर।
4. राज्य जरिये तहसीलदार, गिर्वा जितला उदयपुर।

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम
श्री गोपाल सनाढ्य अधिवक्ता वादी उपस्थित
श्री मीरा पोरवाल अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 1/1 से 1/5 व 2 उपस्थित

निर्णय

दिनांक : 16.01.2018

वादी ने एक वाद अन्तर्गत धारा 88,188,135 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर अंकित किया कि राजस्व ग्राम सीसारमा तह. गिर्वा स्थित कृषि भूमि जमाबंदी संवत 2070 से 2073 में खाता संख्या 755 में आराजी संख्या 5470/2310 किता 1 रकबा 0.5000 हेक्टयर भूमि पूर्व खातेदार श्री ललित कुमार सोनी पिता जगदीशचन्द्र सोनी एवं श्रीमती नीता देवी पत्नी राजेश कुमार सोनी द्वारा उक्त आराजीयात भूमि में निहीत अपने हक व हिस्से अर्थत कुल 2/34 वें हक व हिस्से के आपसी बंटवाडे अनुसार कृषि भूखण्ड संख्या एक तथा दो जिनका कुलिया क्षेत्रफल 5000'–0'' वर्ग फीट है, को प्रतिवादी संख्या 1 गंगाराम पिता स्व. दीपचन्द तेली एवं प्रतिवादी संख्या 2 प्रकाश पिता गंगाराम तेली को जरिये पंजीकृत विक्रय विलेख दिनांकं 08.08.2007 द्वारा विक्रय कर विक्रीत कृषि भू–खण्ड संख्या एक तथा दो का मौके पर भौतिक आधिपत्य भी सिपुर्द किया गया था जिसके अनुसरण

में प्रतिवादी संख्या एक व दो के पक्ष में वादग्रस्त आराजीयात भूमि के 2/34 वें हक व हिस्से का नामान्तकरण भी जरिये ना.स. 3727 दिनांक 20.08.2007 द्वारा खोला गया था। तत्पश्चात् प्रतिवादी संख्या एक व दो ने वादग्रस्त आराजीयात भूमि में से निहीत अपने 2/34 वें हक हिस्से के कृषि भू–खण्ड एक व दो मेंसे 1/34 वें हक व हिस्से के कृषि भू–खण्ड संख्या दो जिसका नाप 50'–0'' बाई 40'–0'' फीट होकर कुल क्षेत्रफल 2000'–0'' वर्ग फीट के भू–खण्ड संख्या दो को वादी को जरिये पंजीकृत विक्रय विलेख दिनांक 14.09.2009 को विक्रय कर विक्रीत भू–खण्ड संख्या 2 को मौके पर भौतिक आधिपत्य वादी को सिपुर्द कर दिया था। तत्पश्चात् कुछ समय पश्चात् प्रतिवादी संख्या एक गंगाराम पिता स्व. दीपचन्द का स्वर्गवास हो जाने के कारण वादग्रस्त आराजीयात भूमि में निहीत 1/34 वें हक हिस्से का नामान्तकरण विरासत से जरिये नामा. संख्या 4406 दिनांक 20.10.09 द्वारा उनके विधिक वारिसान प्रतिवादी संख्या 1/1 से 1/5 के नाम से खोला गया तथा प्रतिवादी संख्या 1/1 से 1/5 द्वारा उक्त 1/34 वें हिस्से को जरिये पंजीकृत विक्रय विलेख द्वारा चन्द्रशेखर पिता शोभालाल कुमावत एवं जमनालाल पिता नारायण लौहार को विक्रय कर दिया गया है। जिसका नामा. स.ख्या 4441/04.12.09 द्वारा उक्त चन्द्रशेखर पिता शोभालाल कुमावत एवं जमानालाल पिता नारायणलाल लौहार के नाम से खोला जा चुका है। जबकि 1/43 वां हिस्से का इन्द्राज अभी भी प्रकाश पिता गंगाराम तेली के नाम से ही दर्ज है। अतः वादी के पक्ष में एवं प्रतिवादी संख्या 1 तथा 2 के खिलाफ इस आशय की घोषणा की जावें कि वादग्रस्त आराजी के 1/34 वें हिस्से को जिसे वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 तथा 2 से जरिये पंजीकृत विक्रय विलेख दिनांक 14.09.2009 से घोषित किया जाकर तद्नुसार राजस्व रेकार्ड में वादी के नाम का इन्द्राज करने का आदेश जारी कर वादी के नाम पर वादग्रस्त आराजी के 1/34 वें हक व हिस्से का नामान्तकरण खोलने का आदेश फरमाया जावें।

प्रतिवादी संख्या 1/1 से 1/5 एवं 2 द्वारा ईकबालिया जवाब प्रस्तुत किया गया।

प्रतिवादीगण द्वारा वादीगण के वाद का इकबालिया जवाब प्रस्तुत किये जाने से प्रकरण में तनकीयात नहीं बनाई गई।

उभयपक्ष विद्वावान अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व अभिलेखों का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया। प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत जवाब का घ्यान पूर्व अवलोन किया गया प्रतिवादी द्वारा अपने जवाब में वादी के वाद को स्वीकार किया गया है।

उभयपक्ष अधिवक्ता की बहस मनन करने के पश्चात उपरोक्त विवेचन से न्यायालय का निष्कर्ष है कि प्रतिवादीगण द्वारा अपने जवाब दावे में यह स्वीकार किया है कि वादी प्रभुलाल पिता प्यारेलाल ने दिनांक 14.09.2009 को वादग्रस्त भूमि प्रतिवादी संख्या 2 एवं स्व. गंगाराम तेली ने जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र द्वारा विक्रय कर क्रेता वादी को भू–खण्ड संख्या 2 का कब्जा सिपुर्द कर दिया तभी से उक्त भू–खण्ड संख्या 2 एरिया 2000 वर्ग फीट का विधिक स्वत्व एवं आधिपत्य क्रेता वादी प्रभुलाल मे निहीत है, आराजी संख्या 5470/2310 रकबा 0.5000 हेक्टयर के 1/34 वे हिस्से का खातेदार घोषित किया जावें।

वादी का वाद स्वीकार किया जाकर राजस्व ग्राम सीसारमा तह. गिर्वा स्थित कृषि भूमि जमाबंदी संवत 2070 से 2073 में खाता संख्या 755 में आराजी संख्या 5470/2310 किता 1 रकबा 0.5000 हेक्टयर भूमि में से

1/34 वें हिस्से का प्रतिवादी संख्या 1/1 से 1/5 एवं 2 के बजाय वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। प्रतिवादी संख्या 1/1 से 1/5 एवं 2 को इस आशय की स्थाई निषेद्याज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वादी के कब्जे काश्त में दखलअन्दाजी नही करें। तहसीलदार गिर्वा को निर्देशित किया जाता है कि तद्नुसार राजस्व रेकार्ड में अलम दरामद करावें। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय सरेइजलास सुनाया गया। प्रकरण शुमार फैसल होकर नम्बर से कम हो।

(कमर चौधरी)
आई.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
गिर्वा – उदयपुर